**संख्या- 38 /2016/1038/71-2-16-सी0एम0यू0-138/2008**

**प्रेषक,**

**अरिन्दम भट्टाचार्य,**
**विशेष सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**कुलसचिव,**
**किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,**
**उ0प्र0 लखनऊ ।**

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2** **लखनऊः दिनांक 15 मार्च, 2016**

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में के0जी0एम0यू0 में शताब्दी अस्पताल फेज-2 के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

---

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14397 दिनांक 04-3-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- के0जी0एम0यू0 में शताब्दी अस्पताल फेज-2 के निर्माण एवं फर्नीचर कार्य हेतु शासनादेश संख्या-3/2015/4087/71-2-15-सी0एम0यू0-138/2008 दिनांक 08 जनवरी, 2016 द्वारा रू0 227.50 करोड (निर्माण हेतु रू0 210.00 करोड तथा फर्नीचर हेतु रू0 17.50 करोड) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष अबतक रू0 187.1099 करोड (निर्माण हेतु) तथा रू0 17.50 करोड (फर्नीचर हेतु) अर्थात कुल रू0 204.6099 की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष् 2015-16 में के0जी0एम0यू0 में शताब्दी अस्पताल फेज-2 के निर्माण हेतु रू0 04,82,47,000/- (रूपया चार करोड बयासी लाख सैतालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/चि0वि0वि0 की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। चि0वि0वि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 तथा प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 08 जनवरी, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश -24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**भवदीय,**

**( अरिन्दम भट्टाचार्य )**
**विशेष सचिव।**

**संख्या- 38/2016/1038(1)/71-2-16-तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9) गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**( नीलेश कुमार सिंह )**
**अनु सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।